

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
(समक्ष: श्री गोपेश गर्ग)

प्रकरण क्रमांक : 22ए/2015

संस्थापन दिनांक : 08.04.2015

1. श्रीमती राजकुमारी वेवा पत्नी रामशरण, आयु 50 वर्ष
2. गुरुदीप आयु 13 वर्ष
3. छोटू उर्फ हरदीप आयु 10 वर्ष पुत्रगण रामशरण नाबालिग सरपरस्त मां राजकुमारी व.सा.1 वेवा पत्नी रामशरण जाति कुशवाह निवासी ग्राम लोधे की पाली परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 हाल निवास गोहद चौराहा परगना गोहद जिला भिण्ड

---वादीगण

बनाम

1. राजू पुत्र शंकरलाल आयु 24 वर्ष
2. राजाबाबू पुत्र मायाराम आयु 23 वर्ष
3. दिनेश पुत्र मायाराम आयु 11 वर्ष नाबालिग दिनेश सरपरस्त भाई राजाबाबू प्र.सा.1 पुत्र मायाराम समस्त जाति कुशवाह निवासीगण ग्राम लोधे की पाली हाल गोहद चौराहा परगना गोहद जिला भिण्ड
4. शंकरलाल आयु 65 वर्ष
5. मायाराम आयु 60 वर्ष पुत्रगण भूरेसिंह उर्फ भुरईसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम लोधे की पाली परगना गोहद जिला भिण्ड हाल निवास गोहद चौराहा परगना गोहद जिला भिण्ड
6. म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0

---प्रतिवादीगण

निर्णय

(आज दिनांक..... को पारित)

1. यह वाद भूमि स्थित लोधे की पाली, भूमि सर्वे क्रमांक 856 जिसका

बंदोबस्त के बाद का नवीन सर्वे क्रमांक 928 रकवा 1.05 बना तथा भूमि सर्वे क्रमांक 695 व 696 जिसका बंदोबस्त के बाद नवीन सर्वे क्रमांक 930 रकवा 0.45 बना है (जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जावेगा) के 1/3 भाग पर वादीगण की स्वत्व व अधिपत्य की घोषणा। वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 दिनांकित 27.6.2014 शून्य घोषित किये जाने की प्रार्थना एवं प्रतिवादीगण क 1 लगायत 5 के विरुद्ध अधिपत्य संरक्षण हेतु स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत है कि बंदोबस्त के बाद सर्वे क्रमांक 856 का नवीन सर्वे क्रमांक 928 रकवा 1.05 तथा सर्वे क्रमांक 695 व 696 का नवीन सर्वे क्रमांक 930 रकवा 0.45 निर्मित हुआ है। यह भी स्वीकृत है कि भूरेसिंह की मृत्यु दिनांक 20.08.14 को हुई है।

3. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भुरईसिंह उर्फ भूरेसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम लोधे की पाली परगना गोहद जिला भिण्ड के स्वत्व स्वामित्व की पूर्वजों की विवादित भूमि है। विवादित भूमि पूर्वजों की संपत्ति है। भूरेसिंह के 3 पुत्र रामशरण (मृत), शंकरलाल, मायाराम हुये जिनमें रामशरण अपने पिता भूरेसिंह के जीवनकाल में ही फौत हो गये थे। शंकर की संतान राजू एवं मायाराम की संतान राजाबाबू प्र.सा.1 एवं दिनेश है। राजकुमारी व. सा.1, रामशरण की विधवा पत्नी यानी भूरेसिंह के पूर्व मृतक पुत्र की विधवा पत्नी होकर भूरेसिंह की पुत्रवधू है तथा गुरुदीप व छोटू उर्फ हरदीप, रामशरण के पुत्रगण होकर भूरेसिंह के पूर्व मृत पुत्र रामशरण के पुत्रगण होकर भूरेसिंह के नाती हैं जिन्हें भूरेसिंह के नाम से अंकित संपत्ति में भूरेसिंह के जीवनकाल में ही पैतृक संपत्ति होने के नाते अपने हिस्सानुसार हक उद्भूत हो चुके हैं। भूरेसिंह के नाम से धारित विवादित भूमि में 1/3 के रामशरण वारिस थे उनकी मृत्यु हो चुकी है इसलिए उनके स्थान पर उनके वारिस होने के आधार पर वादीगण हिस्सा 1/3 के उत्तराधिकारी हैं और तदानुसार नामांतरण कराने के अधिकारी है। भूरेसिंह की मृत्यु के बाद उनके धार्मिक कृत्य संस्कार, पिण्डदान तेरहवीं आदि में वादीगण ने अपने हिस्सानुसार खर्चा भी दिया है और उनके नाम से धारित भूमि पर वादीगण की कब्जा एवं काशत हो रही है। भूरेसिंह के नाम से धारित कृषि भूमि के हिस्सा 1/3 पर वादीगण समान भाग से व हिस्सा 1/3 पर प्रतिवादी क्रमांक 4 शंकरलाल, व हिस्सा 1/3 पर प्रतिवादी क्रमांक 5 मायाराम वारिस हैं।

4. वादपत्र में यह भी अभिवचन किया है कि, भूरेसिंह को अपनी मृत्यु के 4-5 वर्ष पूर्व से ही आंखों से दिखना बंद हो गया था और कानों से सुनाई देना बंद हो गया था और तभी से उनको गले का केन्सर हो गया था जिससे वह बोल नहीं पाते थे। राजकुमारी व.सा.1 ने अपने ससुर भूरेसिंह की हरकिस्मी सेवा उनके जीवनकाल में की थी। प्रतिवादी क्रमांक 4 शंकरलाल और प्रतिवादी क्रमांक 5 मायाराम ने भूरेसिंह की बीमारी की अशक्त अवस्था में उनकी संपत्ति के संबंध में उनकी सहमति एवं इच्छा के विपरीत धोखे से अपने मेल के गवाहान कराकर एवं स्वत्व विहीन वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3, प्रतिवादी क्रमांक 4 शंकरलाल ने अपने पुत्र राजू, प्रतिवादी क्रमांक 1 तथा मायाराम ने अपने पुत्र राजाबाबू प्र.सा.1, दिनेश के हक में एक अवैध रूप से करवा लिया है। वसीयतनामा छल कपटपूर्वक कराया गया है। वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 को भूरेसिंह उर्फ भुरईसिंह ने अपनी इच्छा से नहीं किया है उनकी बिना जानकारी के कराया गया है। विधि अनुसार वसीयत प्र. पी.11 व प्र.डी.3 करने या वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 के द्वारा भुरईसिंह को वादीगण के हक को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। राजू, राजाबाबू प्र.सा. 1 एवं दिनेश के हक में वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 करने का कोई अधिकार नहीं है

और ऐसे कथित वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 के आधार पर राजू, राजाबाबू प्र.सा.1, व दिनेश को कोई भी हक कानूनन प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादीगण क्रमांक 4 शंकरलाल व प्रतिवादी क्रमांक 5 मायाराम ने बेईमानीपूर्वक अपने ही पुत्रों प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के हक में यह साजिशी वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 दिनांक 27.06.14 को भुरईसिंह को मुगालता देकर करवाया गया।

5. वादपत्र में यह भी अभिवचन किया है कि तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 12.01.15 को पेश कराया है। दिनांक 26.01.15 को प्रतिवादी क्रमांक 4 व 5 ने प्रतिवादीगण को धौंस दी कि भुरईसिंह से प्रतिवादीगण क्रमांक 1 लगायत 3 के हक में वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 उनके जीवनकाल में ही करवा लिया है तब वादीगण ने अपने अभिभाषक के माध्यम से वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 की खोज कराई तब दिनांक 27.01.15 को नकल प्राप्ति का आवेदन दिया तब दिनांक 02.02.15 को वादीगण को नकल प्राप्त हुई। वादीगण ने उक्त वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 के बाबत प्रतिवादीगण से चर्चा की कि तो प्रतिवादीगण कहने लगे कि वह अपना नामांतरण भी करा लेंगे तथा कृषि भूमि को अन्यत्र जगह विक्रय कर देंगे तुम हमें चौराहे के अपने मकान का हिस्सा हमारे हक में छोड़ दो। अतः वादग्रस्त भूमि के 1/3 भाग पर वादीगण की स्वत्व व अधिपत्य की घोषणा एवं वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 दिनांकित 27.6.2014 शून्य ऋणोषित किये जाने की प्रार्थना एवं प्रतिवादीगण क्र 1 लगायत 5 के विरुद्ध अधिपत्य संरक्षण हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की है।

6. प्रतिवादी क्रमांक 1, लगायत 5 ने संयुक्त जवाबदावे में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर अभिवचन किया है कि विवादित भूमि भूरेसिंह उर्फ भुरई पुत्र अर्जुन के एकाकी स्वामित्व एवं आधिपत्य की उनके जीवनकाल में स्वअर्जित संपत्ति थी। भूरेसिंह ने स्वेच्छापूर्वक बिना किसी डर व दबाव के विवादित भूमि अपने पोते प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 को समान भाग उपपंजीयक गोहद के समक्ष रजिस्टर्ड वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 के माध्यम से उत्तराधिकारी घोषित किया है। भूरेसिंह ने विवादित भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत प्र. पी.11 व प्र.डी.3 दिनांक 27.06.14 को की है जिसके अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 ही वादग्रस्त भूमि पर अपना नामान्तरण करा पाने के अधिकारी हैं। वादीगण स्वयं ही भूरेसिंह की मृत्यु के उपरांत मेहमान बनकर आये थे और वापिस चले गये वादीगण ने किसी भी प्रकार से मृतक भूरेसिंह की तेरहवीं क्रिया कर्म में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया है और न तथाकथित हिस्सानुसार कोई रूपया दिया है। भूरेसिंह को भी कैंसर नहीं हुआ है और उन्हें जीवनपर्यन्त आंखों से साफ-साफ दिखाई देता था आखिरी सांस तक बोलने में सक्षम रहे हैं तथा वादी क्रमांक 1 ने कभी भी मृतक भूरेसिंह की देखरेख नहीं की है क्योंकि वादी क्रमांक 1 तो अपने मायके में करीब बीस साल से रह रही है। प्रतिवादी क्रमांक 4, 5 को वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 करने के दिनांक को वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 की कोई जानकारी नहीं थी बल्कि मृतक भूरेसिंह ने अपनी मृत्यु के एक दो दिन पहिले घर पर कहा था कि वह अपने तीन नाती राजू, राजाबाबू प्र.सा.1, दिनेश जोकि उसकी सेवा खुशामद अच्छे तरीके से करते हैं, के नाम रजिस्टर्ड वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 कर दी है। वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 सम्पादित करने में कोई भी छल कपट नहीं हुआ है। वादीगण नें भूरेसिंह के जीवन काल में भी कोई कार्यवाही नहीं की। वादी नें कब्जा वापिसी की कार्यवाही नहीं की है। अतः वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रकरण में प्रतिवादी क्र 6 एकपक्षीय रहा है जिसने जवाबदावा पेश नहीं

किया है।

8. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं।
जिन पर प्राप्त निष्कर्ष प्रत्येक के समक्ष अंकित किया जावेगा।

वादप्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 928 रकवा 1.05 और भूमि सर्वे क्रमांक 930 रकवा 0.45 स्थित मोजा लोधे की पाली परगना गोहद जिला भिण्ड वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दूपरिवार की अविभाजित पैतृक संपत्ति है?
2. क्या उक्त वादग्रस्त भूमि के वादीगण 1/3 भाग के स्वत्वधारी हैं?
3. क्या उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/3 भाग के वादीगण अधिपत्यधारी हैं?
4. क्या उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के अधिपत्य में प्रतिवादीगण क 1 लगायत 5 ने बवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया?
5. क्या भूरेसिंह ने उक्त वादग्रस्त भूमि का वैध रूप से प्रतिवादी क 1 लगायत 3 के पक्ष में वसीयत प्र.पी. 11 व प्र.डी.3 दिनांकित 27.06.14 निष्पादित किया है ?
6. सहायता एवं व्यय ?

// वादप्रश्न क्रमांक 01, 02 व 05 पर सकारण निष्कर्ष //

9. राजकुमारी व.सा.1 ने कथन किया है कि विवादित भूमि पूर्वजों की संपत्ति है जिसका भूरेसिंह रिकार्डेड भूमिस्वामी थे। भूरेसिंह के तीन पुत्र रामशरण, शंकरलाल व मायाराम थे। रामशरण भूरेसिंह के जीवनकाल में ही फौत हो गये थे इस कारण वादीगण को भूरेसिंह के जीवनकाल में ही विवादित भूमि में हक उद्भूत हो चुके हैं। इसलिए भूरेसिंह के उत्तराधिकारी के रूप में वादीगण विवादित भूमि के 1/3 भाग के उत्तराधिकारी हैं और तदनुसार नामांतरण कराने के अधिकारी हैं। किशनलाल व.सा.2 एवं संजीव व.सा.3 ने भी राजकुमारी व.सा.1 के उपरोक्त कथन का समर्थन किया है।
10. राजाबाबू प्र.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि भूरेसिंह हरीक्षागढ़ी के रहने वाले थे जिनके द्वारा लोधे की पाली में वादग्रस्त भूमि पैदा की गयी है जो अपने जीवनकाल में एकांकी भूस्वामी रहे जिससे किसी का कोई संबंध नहीं है।
11. दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने विवादित भूमि का खसरा सन 1995-96 प्र0पी-5 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार विवादित भूमि भुरईसिंह के स्वत्व में अंकित है। वादी ने विवादित भूमि का खसरा व खतौनी वर्ष 2013-14 प्र0पी-7 लगायत 10 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार विवादित भूमि का भुरईसिंह भूस्वामी उल्लिखित है। वादी ने री-नंबरिंग पर्चा प्र0पी-6 प्रस्तुत किया है जिसमें स्वीकृत अभिवचन के अनुसार विवादित भूमि के बंदोवस्त के पूर्व के सर्वे नंबर उल्लिखित है। प्रतिवादी ने भी विवादित भूमि का खसरा संवत 2025 प्र0डी-1 व खसरा संवत

2020 लगायत 2024 प्र0डी-2 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार विवादित भूमि भुरईसिंह के स्वत्व में उल्लिखित है। प्रतिवादी ने विक्रय पत्र प्र0डी-4 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार सुरेन्द्रसिंह से विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 695 और 696 जिससे बंदोवस्त के उपरांत नवीन सर्वे क्रमांक 930 उत्पन्न हुआ है भुरईसिंह द्वारा क्रय की गयी है।

12. विवादित भूमि भुरईसिंह को पैतृक संपत्ति होने से अपने पूर्वजों से प्राप्त होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण ने पेश नहीं की है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अधिकार अभिलेख प्र0पी-5 एवं 7 लगायत 10 के अनुसार भूमि भुरईसिंह के स्वत्व में उल्लेखित है। विक्रय पत्र प्र0डी-4 के अनुसार सर्वे क्रमांक 930 भुरईसिंह द्वारा क्रय की गयी है और खसरा प्र0डी-2 के अनुसार ही सर्वे क्रमांक 928 का पुराना नंबर क्रमांक 856 भुरईसिंह को संवत् 2021 में इन्द्राज हुआ है जो उत्तराधिकार में इन्द्राज नहीं हुआ है। राजकुमारी व.सा.1 ने कथन के पैरा 12 में कथन किया है कि जब उसके ससुर लोधे की पाली में आये तब उसकी शादी नहीं हुयी थी। किशन व.सा.2 ने भी कथन के पैरा 11 में कथन किया है कि भुरईसिंह ने विवादित जमीन अपने चाचा से ली थी। अतः वादीगण की साक्ष्य के अभाव में और प्रतिवादीगण की दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में विवादित भूमि भुरईसिंह की स्वअर्जित संपत्ति होना प्रमाणित होती है। भुरईसिंह से संयुक्त हिन्दू परिवार के संबंध में राजकुमारी व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के कथन के पैरा 13 में स्पष्ट कथन किया है कि वह अपने मायके में बीस साल से रह रही है और ससुराल में केवल आती जाती है। अतः राजकुमारी व.सा.1 का भुरईसिंह के साथ संयुक्त हिन्दू परिवार भी नहीं है। दिनांक 26.08.14 को भुरईसिंह की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकार खुला है। उसके पूर्व भुरईसिंह के जीवनकाल में विवादित संपत्ति पैतृक न होने से उत्तराजीविता के आधार पर वादीगण को स्वत्व उद्भूत नहीं होते हैं और वादीगण व भुरईसिंह का सहदायकी सिद्ध नहीं होता है।
13. राजकुमारी व.सा.1 ने कथन किया है कि भुरईसिंह की मृत्यु के बाद उनके धार्मिक संस्कार और पिण्डदान में वादीगण ने अपने हिस्से अनुसार खर्चा किया था। भुरईसिंह को मृत्यु 4-5 वर्ष पूर्व से ही आंखों से दिखाई देना व कानों से सुनाई देना बंद हो गया था उन्हें गले का कैंसर था जिस कारण वह बोल नहीं पाते थे और वादी ने भुरईसिंह की जीवनकाल में सेवा की थी। शंकरलाल और मायाराम ने भुरईसिंह की बीमारी की अशक्त अवस्था में उनकी सहमति व इच्छा के विपरीत धोखे से अपने मेल के गवाह कराकर स्वत्व विहीन वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 राजू व राजाबाबू प्र.सा.1 व दिनेश के हक में करवा लिया है। वसीयत प्र.पी. 11 व प्र.डी.3 छल कपटपूर्वक करवाया गया है। वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 भुरईसिंह ने अपनी इच्छा से नहीं किया है। भुरईसिंह को वादीगण का हक समाप्त करने के लिए वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 करने का अधिकार नहीं था। किशनलाल व.सा. 2 एवं संजीव व.सा.3 ने भी राजकुमारी व.सा.1 के उपरोक्त कथन का समर्थन किया है।
14. राजाबाबू प्र.सा.1 ने कथन किया है कि भुरईसिंह ने अपनी मृत्यु के पूर्व दिनांक 27.06.14 को गवाहों के समक्ष विवादित भूमि के संबंध में रजिस्टर्ड वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 उपपंजीयक कार्यालय गोहद के समक्ष संपादित किया था। जिसके आधार पर वह, राजू व दिनेश विवादित भूमि के भूस्वामी हुए। राजकुमारी व.सा.1 कई वर्ष पूर्व अपने पति के साथ अपने पिता के घर रहने लगी और आज भी वहीं रह रही है। भुरईसिंह को कोई बीमारी नहीं थी। उन्हें आंखों से सही दिखाई देता था व कानों से सही सुनाई देता था और उन्होंने अपने पक्ष में स्वेच्छापूर्वक

बिना डर के वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 की है जो सही है।

15. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा प्र.सा.2 ने कथन किया है कि दिनांक 27.06.14 को भूरेसिंह ने उनसे वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 लिखवाया था जो उन्होंने स्वेच्छा से राजू राजाबाबू प्र.सा.1 और दिनेश के हक में विवादित भूमि के संबंध में लिखवाया था। वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 पर भूरेसिंह ने अपना निशानी अंगूठा और गवाही में भीकम प्र.सा.3 और मुन्नालाल ने हस्ताक्षर किए थे। वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 प्र0डी-3 पर बी से बी भाग पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।
16. भीकम प्र.सा.3 ने भी कथन किया है कि भुरईसिंह ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 राजू राजाबाबू प्र.सा.1, दिनेश के हक में राजेन्द्र प्रसाद शर्मा प्र.सा.2 से लिखवाया था जिस पर भुरई सिंह ने अपना निशानी अंगूठा लगाया था और उसने व मुन्नालाल ने साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किए थे। वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3, राजेन्द्र प्रसाद प्र.सा.2 ने पढ़कर सुनाया था तब भूरेसिंह ने अंगूठा लगाया था। जब वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 किया था तब भूरेसिंह स्वस्थ थे और आंखों से दिखाई देता था। भूरेसिंह की मृत्यु होने के बाद सभी धार्मिक कर्तव्य किए गए थे।
17. वादी ने वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 की प्रमाणित प्रति प्र0पी-11 और प्रतिवादीगण ने वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 की मूल प्रति प्र0डी-3 प्रस्तुत की है। वादी ने रामशरण और भूरेसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र0पी-3 व 4 प्रस्तुत किया है।
18. वादी द्वारा न्यायदृष्टांत **H. Venkatachala Iyengar vs B. N. Thimmajamma & Others 1959 AIR 443= 1959 SCR Supl. (1) 426** का अवलम्ब लिया गया है जिसके संबंध में न्यायदृष्टांत समक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय **Sridevi & Ors vs Jayaraja Shetty & Ors on 28 January, 2005 ,Appeal (civil) 3749 of 1999** में उक्त न्यायदृष्टांत **H. Venkatachala Iyengar** के संबंध में संक्षिप्त बताया गया है कि

It is well settled proposition of law that mode of proving the will does not differ from that of proving any other document except as to the special requirement of attestation prescribed in the case of a will by Section 63 of the Indian Succession Act, 1925. The onus to prove the will is on the propounder and in the absence of suspicious circumstances surrounding the execution of the will, proof of testamentary capacity and proof of the signature of the testator, as required by law, need be sufficient to discharge the onus. Where there are suspicious circumstances, the onus would again be on the propounder to explain them to the satisfaction of the court before the will can be accepted as genuine.

Proof in either case cannot be mathematically precise and certain and should be one of satisfaction of a prudent mind in such matters. In case the person contesting the will alleges undue influence, fraud or coercion, the onus will be on him to prove the same. As to what are suspicious circumstances have to be judged in the facts and circumstances of each particular case. { For this see H. Venkatachala Iyengar v. B.N. Thimmajamma & Ors. [(1959) Supp.1 SCR 426]

19. वादीगण ने इस तथ्य को चुनौती नहीं दी है कि वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 तब भुरईसिंह के अंगूठा निशानी नहीं है और उसने निष्पादित नहीं किया। मात्र यह अभिवाक किया है कि वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 भुरईसिंह द्वारा स्वेच्छा से निष्पादित नहीं किया गया है अपितु प्रतिवादीगण ने छलकपटपूर्वक निष्पादित कराया है क्योंकि भुरईसिंह अत्यधिक वृद्ध थे जिन्हें आंखों से कम दिखाई देता था व कानों से कम सुनाई देता था तथा वह कैसर से पीड़ित थे और वादीगण ने भी उनकी सेवा की थी और अंतिम क्रिया कर्म में भाग लिया था जिससे उन्हें वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 के आधार पर भुरईसिंह द्वारा विवादित संपत्ति से स्वत्व विहीन नहीं किया जा सकता था। अतः भुरईसिंह की अशक्त अवस्था में बिना उनकी मर्जी से वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 निष्पादित कराई गयी है।
20. वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 पंजीकृत दस्तावेज है जिसमें वादीगण के अभिवचन के अनुसार संदेहास्पद परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण वह निर्भर रहने योग्य नहीं है। उक्त वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 को सही साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण को भी वादीगण द्वारा प्रख्यात संदेहास्पद परिस्थितियों में स्पष्ट करना है। धारा 68 साक्ष्य अधिनियम के अधीन वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 के अनुप्रमाणन साक्षी भीकम प्र.सा.3 का प्रतिवादीगण द्वारा परीक्षण कराया गया है।
21. भीकम प्र.सा.3 ने वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं और मुख्यपरीक्षण में उसके समक्ष भुरईसिंह द्वारा निशानी अंगूठा लगाया जाना बताया है। इस साक्षी ने वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 प्र0डी-3 किस दिनांक को निष्पादित किया गया है यह याद होने में असमर्थता बतायी है और भुरईसिंह द्वारा ही उसे बुलाया जाना बताया है। इस प्रश्न पर कि भुरईसिंह को कम दिखाई देता था और कम सुनाई देता था भुरईसिंह की बुद्धि ने काम करना भी बंद कर दिया था तब साक्षी ने उत्तर दिया है कि सबकुछ सही था।
22. साक्षी भीकम प्र.सा.3 ने प्रतिपरीक्षण के कथन के पैरा 8 में कथन किया है कि भुरईसिंह गोहद चौराहे से पैदल चलकर आये थे उनके साथ मायाराम व शंकर भी पैदल आये थे। जिस संबंध में वादीगण का तर्क है कि अत्यधिक वृद्ध भुरईसिंह लगभग पांच किलोमीटर स्थित चौराहे से माह जून की गीष्म ऋतु में पैदल चलकर आयें यह असंभव है। इस संबंध में भीकम प्र.सा.3 ने प्रतिपरीक्षण के ही कथन के पैरा 8 में कथन किया है कि उसे कचहरी में उक्त लोगों ने कहा था

कि वह पैदल चलकर आये हैं। अतः पैदल चलकर आने के संबंध में भीकम प्र.सा.3 ने प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं दी जा सकी अनुश्रुत साक्ष्य वर्णित की है। जिससे उसके द्वारा दिया गया यह कथन कि भूरेसिंह पैदल चलकर आये थे केवल अनुश्रुत रूप से उसके द्वारा वर्णित किया गया है। उसने स्वयं पैदल चलकर आते हुए नहीं देखा था। अतः उसकी अनुश्रुत साक्ष्य पर अविश्वास भी किया जाये तो भीकम प्र.सा.3 की प्रत्यक्ष बिन्दुओं पर दी साक्ष्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि कचहरी में ही उसकी भीकम प्र.सा.3 से मुलाकात होना बताया है।

23. वसीयत प्र.डी.3 की लिखापट्टी इस साक्षी ने राजेन्द्र प्र.सा.2 के द्वारा की जाना बताया है जो कहां बैठते हैं यह बताने में असमर्थता बतायी है जिसका भी स्पष्टीकरण दिया है कि वह उपपंजीयक कार्यालय में सीधा पहुंच गया था। जो स्वाभाविक भी है क्योंकि दस्तावेज उपपंजीयक कार्यालय में ही पंजीकृत है। भीकम प्र.सा.3 ने वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 में क्या लिखा यह जानकारी होने से इंकार किया है। इस साक्षी ने मुख्यपरीक्षण में भी अनुप्रमाणन साक्षियों के रूप में ही साक्ष्य दी है और अनुप्रमाणन साक्षी से दस्तावेज की अंतर्वस्तु का ज्ञान होना अपेक्षित नहीं किया जा सकता है।
24. भीकम प्र.सा.3 ने कथन के पैरा 9 में कथन किया है कि वह साक्षी मुन्नालाल को नहीं जानता है और न ही पहचानता है उसके अलावा वसीयत प्र.पी. 11 व प्र.डी.3 पर किसने हस्ताक्षर किए उसे नहीं मालूम। वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी. 3 पर अन्य अनुप्रमाणन साक्षी मुन्नालाल है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अधीन निर्वाचित अनुप्रमाणन से यह तात्पर्य है कि साक्षी ने निष्पादन में स्वयं के हस्ताक्षर किए हों या उसकी उपस्थिति और निर्देश में अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करते देखा हो और उक्त धारा के अधीन यह आवश्यक नहीं है कि दो से अधिक साक्षी एक ही समय पर एक साथ उपस्थित हों। अतः भीकम प्र.सा.3 को अन्य अनुप्रमाणन साक्षी का ज्ञान न होना विधि अनुसार उसके अनुप्रमाणन के संबंध में दी साक्ष्य को प्रभावित नहीं करता है।
25. दस्तावेज लेखक राजेन्द्र प्रसाद प्र.सा.2 ने मुख्यपरीक्षण के कथन के पैरा 2 में कथन किया है कि वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 पर भूरेसिंह ने हस्ताक्षर किए थे और प्रतिपरीक्षण में भी कथन के पैरा 4 में स्पष्ट इंकार किया है कि भूरेसिंह ने वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 पर कोई हस्ताक्षर नहीं किए थे। वसीयत प्र. पी.11 व प्र.डी.3 पर भूरेसिंह के अंगुष्ठ चिन्ह हैं। इस संबंध में वादी अधिवक्ता का तर्क है कि साक्षी ने भूरेसिंह द्वारा हस्ताक्षर करना बताया है जबकि वसीयत प्र.पी. 11 व प्र.डी.3 पर अंगुष्ठ चिन्ह हैं। धारा 68 साक्ष्य अधिनियम के अधीन वसीयत प्र. पी.11 व प्र.डी.3 को साबित करने के लिए अनुप्रमाणन साक्षी के रूप में भीकम प्र. सा.3 की साक्ष्य कराई गयी है और वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 भी पंजीकृत दस्तोवज है जिस पर भीकम प्र.सा.3 ने उपपंजीयक के समक्ष अंगुष्ठ चिन्ह नहीं लगाया। इस संबंध में वादीगण की प्रतिरक्षा नहीं है मात्र यह प्रतिरक्षा है कि वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 भूरेसिंह की बिना सहमति व स्वस्थचित्त अवस्था के अभाव में कराया गया है। अतः वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 के निष्पादन को ही स्वयं वादीगण ने चुनौती नहीं दी है। अतः निष्पादन के संबंधमें राजेन्द्र प्र.सा.2 के उक्त विरोधाभासी कथन से वादीगण के अभिवचन से विपरीत यह नया निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भीकम प्र.सा.3 ने वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 ही निष्पादित नहीं किया। दस्तावेज लेखक के रूप में इस साक्षी राजेन्द्र प्र.सा.2 ने वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।
26. भूरेसिंह की साक्षी राजेन्द्र प्र.सा.2 ने 70-80 वर्ष आयु होना स्वीकार की

है। राजेन्द्र प्र.सा.2 ने भूरेसिंह को व्यक्तिगत जानने से इंकार किया है और भीकम प्र.सा.3 और मुन्नालाल को भी जानने से इंकार किया है। भूरेसिंह को कोई बीमारी थी यह ज्ञात होने से भी इस साक्षी ने इंकार किया है। भूरेसिंह चल फिर लेते थे या उन्हें कैंसर था उन्हें आंखों से कम दिखाई देता था इस संबंध में भी प्रतिपरीक्षण के कथन के पैरा 3 में राजेन्द्र प्र.सा.2 ने अनभिज्ञता व्यक्त की है जो स्वाभाविक भी है क्योंकि राजेन्द्र प्र.सा.2 ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह भूरेसिंह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था और न ही प्रतिवादीगण का अभिवचन रहा है कि दस्तावेज लेखक भूरेसिंह को जानता था और न ही राजेन्द्र प्र.सा.2 ने मुख्यपरीक्षण में भुरईसिंह के स्वस्थचित्त होने के संबंध में कोई साक्ष्य दी है।

27. राजेन्द्र प्र.सा.2 ने कथन के पैरा 4 में स्वीकार किया है कि उसके पास वकालत की सनद है और कथन के पैरा 5 में वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 लिखने की शुल्क की रशीद न देना और रजिस्टर संधारित न करना और रशीद कट्टा संधारित न करना राजेन्द्र प्र.सा.2 ने स्वीकार किया है। इस संबंध में म0प्र0दस्तावेज लेखन लाइसेन्स नियम 1966 जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 69 और 82ए के अधीन निर्मित किए गए हैं, के संबंध में रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 82ए के परन्तुक के अधीन उल्लेखित है कि उक्त प्रावधान दस्तावेज लिखने के लिए नियुक्त अभिभाषक पर लागू नहीं होते हैं और राजेन्द्र प्र.सा.2 ने स्वयं को अभिभाषक होना स्वीकार किया है। अतः म0प्र0दस्तावेज लेखन लाइसेन्स नियम 1966 के प्रावधान उस पर लागू न होने से रजिस्टर व रशीद कट्टा संधारित न करने से दस्तावेज लेखन की उसकी योग्यता विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होती है।

28. राजेन्द्र प्र.सा.2 ने कथन के पैरा 4 में स्वीकार किया है कि वह न्यायालय के समन्स पर नहीं आया है और मायाराम के कहने पर आना बताया है जिस पर वादी अधिवक्ता का तर्क है कि साक्षी हितबद्ध साक्षी है। आदेश 16 नियम 1क सीपीसी के अधीन साक्षी को पक्षकार स्वयं ही उपस्थित कर सकता है अतः मात्र बिना समन्स के आने से स्वमेव राजेन्द्र प्र.सा.2 को हितबद्ध साक्षी नहीं माना जा सकता है। जिसका उसने स्पष्टीकरण भी दिया है कि वह बगल में ही बैठता है इसलिए वह आ गया अतः इस साक्षी का व्यय ही नहीं हुआ है। अतः व्यय न होने की दशा में स्वयं न्यायालय में पक्षकार के कहने पर आने से उसे हितबद्ध साक्षी नहीं माना जा सकता है।

29. राजाबाबू प्र.सा.1 ने कथन के पैरा 3 में स्वीकार किया है कि भुरईसिंह वृद्ध हो चुके थे चलने फिरने में असमर्थ थे और आंखों से कम दिखता था यह भी स्वीकार किया है कि भुरईसिंह को कैंसर की बीमारी हो गयी थी जिस कारण उनकी मृत्यु हुई। परन्तु भुरईसिंह की बोलने व सुनने की शक्ति के संबंध में इस साक्षी ने कथन किया है कि भुरईसिंह बोल लेते थे और इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि भुरईसिंह को कम सुनाई देने लगा था। राजाबाबू प्र.सा.1 ने कथन के पैरा 4 में स्पष्ट कथन किया है कि भुरईसिंह अनपढ़ थे और अंगूठा लगाते थे और राजेन्द्र प्रसाद प्र.सा.2 ने भूरेसिंह द्वारा ही वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 लिखाया जाना बताया है। अतः जबकि भुरईसिंह की बोलने व सुनने की शक्ति सही थी तब अशिक्षित होने पर विधिक सलाह से राजेन्द्र प्रसाद प्र.सा.2 से वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 लिखाया जाना भुरईसिंह की इन्द्रिय शक्ति में होना स्पष्ट होता है और जबकि भुरईसिंह को कैंसर था और वह चलने फिरने में असमर्थ था और आंखों से कम सुनाई देता था। इससे यह स्वमेव उपधारणा नहीं की जा सकती कि भुरईसिंह मानसिक रूप से भी अस्वस्थ थे। वादीगण ने इस संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण

पेश नहीं किया है कि भुरईसिंह अत्यधिक अस्वस्थ होने के कारण सोचने समझने की शक्ति खो बैठे थे।

30. मृत्यु प्रमाण पत्र प्र०पी-4 के अनुसार वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 निष्पादित करने के लगभग दो माह पश्चात भुरईसिंह की मृत्यु हुई थी। अतः वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 निष्पादित करने के पर्याप्त समय पश्चात भुरईसिंह की मृत्यु हुई थी। अतः जबकि उनकी कैंसर से मृत्यु हुई है तब दो माह पूर्व ही वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गये थे यह नहीं माना जा सकता है। राजाबाबू प्र.सा. 1 ने कथन के पैरा 4 में स्वीकार किया है कि मुन्नालाल और भीकम प्र.सा.3 उनके गांव के नहीं थे। परन्तु भीकम प्र.सा.3 को भुरईसिंह का मित्र होना स्वीकार किया है। अतः अनुप्रमाणन साक्षी अन्य स्थान का होने के उपरांत भी वसीयतकर्ता का मित्र था और वादीगण से विद्वेष स्पष्ट नहीं हुआ है। अतः अन्यत्र स्थान के अनुप्रमाण साक्षी होने से वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 कूटरचित नहीं माना जा सकता है।
31. राजाबाबू प्र.सा.1 ने कथन के पैरा 4 में कथन किया है कि वसीयत प्र. पी.11 व प्र.डी.3 करते समय वह नहीं आया। अतः राजू व दिनेश, शंकर व मायाराम के आने के संबंध में और वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 कहां किसके समक्ष निष्पादित होने के संबंध में इस साक्षी राजाबाबू प्र.सा.1 ने जानकारी होने से इंकार किया है। राजाबाबू प्र.सा.1 वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 में हितगृहीता है। अतः वसीयतकर्ता के साथ उसका आना आवश्यक नहीं है जिससे वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 दिनांक को जिनके साथ भुरईसिंह आये तथा कहां कार्यवाही की उसकी जानकारी राजाबाबू प्र. सा.1 को न होना अस्वाभाविक नहीं है।
32. किशनलाल व.सा.2 ने कथन के पैरा 12 में कथन किया है कि दिनांक 27.06.14 अर्थात् वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 की दिनांक को वह भुरईसिंह से मिलने आया था और चार बजे लौटा था जबकि इस साक्षी ने कोई तथ्य मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में नहीं बताया है जोकि महत्वपूर्ण है क्योंकि वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 दिनांक 27.06.14 को ही निष्पादित की गयी है और जबकि वसीयतकर्ता उसके साथ था तब उसने वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 कैसे की यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है जो वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करता है लेकिन ऐसा तथ्य वादी साक्षीगण के कथन में नहीं है जबकि सभी साक्षीगण नातेदार हैं। अतः किशनलाल व.सा.2 द्वारा दी गयी साक्ष्य की विश्वसनीयता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।
33. भीकम प्र.सा.3 ने कथन के पैरा 9 में कथन किया है कि भुरईसिंह के तीन लड़के थे और एक लड़का अपने ससुराल भिण्ड पहुंच गया था। राजाबाबू प्र. सा.1 ने कथन के पैरा 4 में कथन किया है कि उसके सामने भुरईसिंह ने रामशरण व राजकुमार को कुछ नहीं दिया। राजकुमारी व.सा.1 ने कथन के पैरा 15 में कथन किया है कि वह अपने ससुर के स्वर्गवास होने के 15 दिन पहले आई थी और 8 दिन तक रुकी थी फिर चली गयी थी और कथन के पैरा 12 में कथन किया है कि उसने आठ हजार रुपये ही ससुर के इलाज में खर्च किए थे। वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 में नैसर्गिक उत्तराधिकारी रामशरण को संपत्ति प्रदान न करने का कारण वसीयतकर्ता ने लिखा है कि रामशरण अपने जीवनकाल में ससुराल चला गया जहां उसे संपत्ति प्राप्त हुई है और उसने भी हिस्सा बतौर बीस वर्ष पूर्व नगद रुपये दे दिया था इसलिए रामशरण का कोई हिस्सा नहीं रहेगा स्वयं राजकुमारी व.सा.1 ने भी भुरईसिंह की मृत्यु 15 दिन पूर्व ही आठ दिन के लिए आना बताया है और बीस वर्ष से अपने मायके में रहना बताया है जिससे वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.

3 के इस तथ्य की संपुष्टि होती है कि रामशरण बीस वर्ष से वसीयतकर्ता से अलग निवास कर रहा था। अतः वृद्धावस्था में भी रामशरण व उसकी संतान का भूरेसिंह के साथ न रहने के कारण व भूरेसिंह द्वारा भी बीस वर्ष पूर्व ही नगद राशि दिए जाने से नैसर्गिक उत्तराधिकारी को वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 के अनुसार संपत्ति प्रदान न किए जाने पर संतुष्टि योग्य कारण स्पष्ट होता है।

34. अतः वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 की विश्वसनीयता को खण्डित करने के लिए वादी कोई संदेहास्पद परिस्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है। अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से विवादित भूमि भूरेसिंह की स्वअर्जित संपत्ति होना प्रमाणित होती है। प्रतिवादी साक्ष्य से वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 वैध रूप से प्रमाणित हुआ है और वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 की विश्वसनीयता खण्डित करने के लिए वादी कोई तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः स्वअर्जित संपत्ति भूरेसिंह द्वारा वैध रूप से वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 की गयी है जिससे विवादित भूमि पर वसीयतगृहीता प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 को भूरेसिंह की मृत्यु उपरांत स्वत्व अर्जित होना प्रमाणित होता है जिससे वादीगण विवादित भूमि के प्रतिवादीगण के साथ सहस्वामी होना प्रमाणित नहीं होते हैं। जिससे यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक संपत्ति है। अतः विवादित भूमि को भूरेसिंह द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के पक्ष में वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 किए जाने से वादीगण का विवादित भूमि में $1/3$ भाग पर स्वत्व अब शेष नहीं रहता है। अतः विवादित भूमि के $1/3$ भाग पर वादीगण का स्वत्व होना प्रमाणित नहीं होता है।

35. अतः वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विनिश्चय नासाबित व वादप्रश्न क्रमांक 5 का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

//वादप्रश्न क्रमांक 03 व 04 पर सकारण निष्कर्ष//

36. राजकुमारी व.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि रामशरण के उत्तराधिकारी के रूप में विवादित भूमि के $1/3$ भाग पर वादीगण का कब्जा व काशत है। किशनलाल व.सा.2 एवं संजीव व.सा.3 ने भी राजकुमारी व.सा.1 के उपरोक्त कथन का समर्थन किया है। राजाबाबू प्र.सा.1 ने कथन किया है कि विवादित भूमि उनके स्वत्व व आधिपत्य की है जिसमें वर्तमान में उनकी खेती हो रही है। राजकुमारी व.सा.1 ने कथन के पैरा 13 में कथन किया है कि वह अपने मायके में 20 साल से रह रही है और कथन के पैरा 12 में कथन किया है कि वह वर्ष 2014 में ही भिण्ड से आई है और कथन के पैरा 14 में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 930, 928 के रकवा व चतुरसीमा की जानकारी होने से भी इंकार किया है और स्पष्ट कथन किया है कि उसने कभी खेती नहीं की उसके पति ने की थी। किशनलाल व.सा.2 जो राजकुमारी व.सा.1 का पिता है, ने भी कथन के पैरा 12 में यही कथन किया है कि 20 वर्ष से राजकुमारी व.सा.1 उसके पास रह रही है वह कभी भी खेत पर नहीं गया। व संजीव व.सा.3 ने भी कथन के पैरा 5 में कथन किया है कि राजकुमारी व.सा.1 उसकी सास है जो भिण्ड निवास करती है और वादग्रस्त भूमि की चतुरसीमा बताने में संजीव व.सा.3 ने असमर्थता व्यक्त की है। राजाबाबू प्र.सा.1 ने कथन के पैरा 4 में इंकार किया है कि उन्होंने डेढ़ वर्ष पूर्व राजकुमारी व.सा.1 को धौंस दी थी कि उन्होंने वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 करा लिया है अब वह उसे खेती करने नहीं देंगे और वसीयत प्र.पी.11 व प्र.डी.3 के आधार पर बिना वादीगण को सूचना दिए गलत रूप से नामांतरण कराया है। अतः राजकुमारी व.सा.1 के ही कथनानुसार बीस वर्ष से वह अपने मायके में रह रही है जिसका समर्थन उसके पिता किशनलाल व.सा.2 ने भी किया है। स्वयं राजकुमारी

व.सा.1 ने विवादित भूमि पर खेती न करना स्वीकार किया है और नवीन रूप से बताया है कि उसके पति खेती करते थे। किसी भी वादी साक्षी को विवादित भूमि की चतुरसीमा का ज्ञान नहीं है। अतः अधिपत्य के संबंध में किशनलाल व.सा.2 व संजीव व.सा.3 के कथन विश्वसनीय नहीं हैं। राजकुमारी व.सा.1 ने स्वयं की खेती होने से इंकार किया है। अतः विवादित भूमि पर वादीगण के अधिपत्य के संबंध में वादीगण ने विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे विवादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य होना प्रमाणित नहीं होता है। जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादीगण द्वारा वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 03 व 04 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 06 पर सकारण निष्कर्ष //

37. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादग्रस्त भूमि के 1/3 भाग पर वादीगण का स्वत्व व अधिपत्य होना प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः वाद साबित नहीं हुआ है। अतः वाद अस्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञप्त किया जाता है।

1. वाद अस्वीकार किया गया।
2. वादीगण स्वयं के साथ प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 का आनुपातिक वाद व्यय वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये। प्रतिवादी क्रमांक 6 अपना व्यय स्वयं वहन करेगा।

तदनुसार आज्ञापित बनाई जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित

सही /—

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही /—

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)